

23/12  
25

पत्रावली पेश हुई। उक्त पुस्तक सं.  
7/2024 इनका संस्कार करना संभव  
ना नैजद्वारा न्यायालय सहायक  
कलेक्टर की सादरी व सेवा न्यायालय  
उपखण्ड बन्धुवारी की सादरी है।  
कतः उक्त पुस्तक को न्यायालय  
उपखण्ड बन्धुवारी की सादरी के माध्यम  
से पत्रावली के माध्यम से प्राप्त होना  
संभव है।

सहायक कलेक्टर  
वडीसादरी

